SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I have a small question ...(*Interruptions*)...

Non-utilisation of funds under SGSY

*102. DR. KARAN SINGH:†
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have failed to spend funds allocated to Sampoorna Gramin Swarozgar Yojana (SGSY);

(b) if so, whether Centre allocated Rs. 1000 crore for the programme upto June this year which was twice the sum allocated last year, but only Rs. 469.56 crore of this was released and even paltry Rs. 61.94 crore was used;

(c) what are the main reasons for failure in utilization of funds under SGSY and the agencies responsible for this;

(d) what action has been taken against the said agencies; and

(e) what are the steps taken to fully utilize the funds allocated for SGSY during the remaining period of 2005-06?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) SGSY is not Sampoorna Gramin Swarozgar Yojana but it is Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana. It is a self-employment scheme aims at establishing a large number of micro enterprises in rural areas based on the ability of the poor and potential of each area. The objective of the scheme is to bring the assisted poor families (Swarozgaris) above the poverty line by organizing them into Self Help Groups (SHGs) and providing them income generating assets through a mix of bank credit and government subsidy. The scheme is financed on 75:25 cost sharing basis between the Centre and the States. Funds under the scheme are released directly to District Rural Development Agencies (DRDAs).

Government have not failed to spend funds allocated under SGSY. Central allocation of funds during current financial year (2005-06) for Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) is Rs. 1000.00 crore which is the same as allocated during 2004-05. Release of funds under Swaranjayanti Gram

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Karan Singh.

Swarozgar Yojana (SGSY) during last three years and the current year is as under:

(Rs. in crore)

Year	Central allocation	Central release	Funds utilized (Centre and State share)
2002-03	710.00	706.04	921.11
2003-04	800.00	797.55	1045.86
2004-05	1000.00	996.59	1289.28
2005-06	1000.00	565.40*	447.28**

*Up to November 21, 2005

** Up to Septemebr, 2005

(c) to (e) Funds allocated under the scheme have been almost fully utilized during the last three years. To ensure proper and effective utilization of funds under SGSY, scheme is monitored from the Central level down to the grass root level. At the Central level, the Central Level Co-ordination Committee (CLCC) monitors and reviews the implementation of the scheme and lays down policy guidelines for all aspects relating to the credit linkages for the SGSY. At the State level, a State Level of SGSY Committee monitors the programme. In addition, the progress under SGSY is monitored periodically through reports and returns submitted by the DRDAs/States. Implementation of the Programme is monitored and rviewed through the Annual Project Directors Workshop and periodic Performance Review Committee meetings with the State Secretaries. At the Block/DRDA level monitoring is done through field visits and physical verification of assets. In addition, the programme is also monitored through other monitoring machanism of the Ministry like vigilance and Monitoring Committee, Area Officers Scheme, District Level Monitoring and National Level Monitoring etc. Release position during current year is being reviewed regularly with the State/UT governments in order to ensure timely releases and effective utilization of funds.

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, the Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY) and the Sampoorna Gramin Swarozgar Yojana (SGSY), are two major schemes designed to attack the citadels of poverty directly. And, particularly, the Sampoorna Gramin Swarozgar Yojana tries to target women and people in the more vulnerable sector. I would like to know from the Minister what is the experience over the last three years in the Sampoorna Gramin Swarozgar Yojana. Has the idea of Self-Help Groups caught up in the rural areas; and, to what extent, has this programme now begun gradually to transform the rural life in India?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, यह जो एस जी एस वाई योजना एवं वेज इम्प्लाइमेंट प्रोग्राम है, माननीय सदस्य ने एसजीएसवाई के बारे में पूछा है, वह सेल्फ इम्प्लाइमेंट प्रोग्राम है, जिसमें गांव के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों और खास तौर पर महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना कर, उन्हें ट्रेनिंग दे कर, बैंकों से क्रेडिट दिलवाकर ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: वह सब तो सदन को मालूम है ... (व्यवधान)।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जी, हां, महोदय। इन्होंने इसमें अनुभव के संबंध में पूछा है, तो अभी तक 21,00,000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार हो गए हैं, जिसमें ग्रेड वन 12,00,000 का है, ग्रेड टू 5,66,000 का है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दी गई हैं, उनकी संख्या करीब 2,64,000 है। उन्हें अभी तक जो बैंको से टोटल क्रेडिट दिलवाया गया है उसमें 8,546 करोड़ रुपये माइक्रो क्रेडिट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिलीज ऋण के रूप में दिलवाया जा सका है। उसमें करीब 4,383 करोड़ रुपये गरीबों को सब्सिडी के रूप में दिए गए हैं। इसलिए यह बड़ा अच्छा अनुभव है, और हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप को आंदोलन की तरह चलाना चाहते हैं। इसमें नाबार्ड के लोग भी मदद कर रहे हैं और सिडबी के लोग भी कर रहे हैं, इसीलिए सेल्फ इम्प्लाइमेंट प्रोग्राम के द्वारा बेरोज़गारी को हटाने का यह बहुत भारी हथियार है और इसका बहुत ही सफल प्रयोग चल रहा है।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, it is a very reassuring reply. Banks are mostly urban oriented. I would just like to know whether banks are fully cooperating with the rural areas. Also, are special measures being taken so that the bank credit should be able to cover far-flung rural areas, particularly areas like Ladakh or ArunachalPradesh or Lakshadweep?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जी हां, महोदय, पहले जब यह देखा गया कि बैंकों से बढ़िया सहयोग नहीं मिल रहा है, करीब 1200 शाखाएं जीरो लेडिंग वाली शाखाएं थीं। इसके बारे में जब हमने वित्त मंत्री से लिखा-पढ़ी की एवं उसके पश्चात् उनके साथ हुई बैठक में हमने यह सवाल उठाया तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एवं वित्त मंत्रालय के द्वारा कड़ाई की गई है। बैंक के लोग अब बहुत सहयोग कर रहे हैं और प्रगति पहले से बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी देश में कुछ अनबैंक्ड एरियाज़ भी हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि जहां पर बैंक नहीं पहुंच सके हैं, वहां पर भी बैंक पहुंचे। हम इस विषय में वित्त मंत्रालय से बराबर घिरे रहते हैं कि इसमें बैंक सहयोग करें और जहां पर भी अनबैंक्ड एरिया है, वहां पर बैंक स्थापित हों।

महोदय, इंटरेस्ट भी पहले 10 से 12 प्रतिशत लगता था, लेकिन उसमें जबसे लिखा-पढ़ी हुई है, उसके बाद अब उन्होंने वचन दिया है कि 9 प्रतिशत से अधिक इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फिर भी हमारा कहना है कि इंटरेस्ट 4 प्रतिशत ही लगना चाहिए। गरीब आदमी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अब आप गरीबी का भाषण मत दीजिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको जितने रुपये का एलोकेशन हुआ था, उसका बहुत कम खर्च हुआ है,।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, वह तो प्रश्न में है और हमने उसका उत्तर भी दे दिया है। ऐसा नहीं है कि कम खर्च हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: उत्तर तो दिया है, लेकिन वह उत्तर अच्छा नहीं है। रुपया पूरा खर्च होना चाहिए। जब आप इतने ...(व्यवधान)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: खर्च हो रहा है। 1000 करोड़ का बजट उपबंध है, उससे अधिक खर्च हो रहा है।

श्री सभापति: तब तो ठीक है।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, it is a very, very important scheme. Sir, I would like to know from the hon. Minister -- of course, first-hand information may not be readily available with him -- the State-wise utilisation of this amount of Rs. 446.28 crores in the present financial year. Only two-three months are now left in the present financial year. When are you going to spend the balance amount?

My second point is that for such a populated country, Rs. 1000 crore is a very small amount. Is the Minister going to make more efforts to get more allocation in the next financial year? I have asked about each State and specifically about Andhra Pradesh.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, इसमें जो बजट उपबंध है, वह सब जिलों में भेज दिया जाता है। जिस जिले में गरीब लोगों की संख्या जितनी अधिक है, उसी आधार पर यह उन जिलों में भेजा जाता है। 25 प्रतिशत इसमें राज्य सरकार अपना शेयर लगाती है और 75 प्रतिशत हम लोग लगाते हैं और यह खर्च डीआरडीए के द्वारा होता है, इसलिए ...(व्यवधान)

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I want details. आपने रुपया कैसे खर्च किया कम से कम उसके डिटेल्स तो आपके पास होने चाहिए।

श्री सभापति: डिटेल्स नहीं मिल सकते, डिटेल्स नहीं हैं। यदि जरूरत हो तो इन्हें भेज दीजिए।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Minister was telling that the banks were cooperating. Our experience is that now the Self-Employment Scheme, apart from helping the people in the rural areas who are unemployed, is helping Women Self-Help Group also. Now, Sir, according to our experience, the banks are not cooperating in the scheme. Persons go for interview and after they have been selected by the committee, the names are sent to the banks for the purpose of giving loans, for the purpose of starting their business or their avocations. But the banks after completing all the process say, our ceiling is over. Therefore, I would like to know from

the hon. Minister about the eligible people who have been identified and selected. Will you be able to assure today in this House that they will be given the facility, loan facility, for starting self-help scheme?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, माननीय सदस्य की यह सूचना कि बैंक कोआपरेट ही नहीं करते हैं, यह गलत है। कुछ शाखाएं कोआपरेट नहीं कर रही थीं, कुछ शाखाओं ने अच्छा कोआपरेट किया। जिन शाखाओं ने कोआपरेट नहीं किया, उसकी तरफ जब वित्त मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया तो उसके बाद उन लोगों ने भी इम्प्रूव किया है। इसलिए जो पोटिशंस बैंकों के पास जाती हैं तो वे महीनेवार निष्पादित करते हैं और हम लोग कड़ी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बैंक असहयोग कर रहे हैं, ऐसा कहना सही नहीं है।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Chairman, Sir, this is a very important scheme, as said by the hon. Minister and the experience -- hon. Chairman, Sir, I think you are also aware -- is that as for the self-help groups, the repayment is 99.5 per cent according to NABARD and other banks also. That being the case, will the Minister take the House into confidence and explain what is the progress made by various States? और विशेष रूप में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड इलाकों में इस मूवमेंट का जितना जोर होना चाहिए उतना जोर नहीं है। इसको जोर पकड़ने के लिए कारण क्या है कि जब तक ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश आगे बढ़ना सम्भव नहीं है? तो क्या इसके लिए कुछ विशेष प्रयास हो रहे हैं?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, जिन राज्यों में यह काम पीछे था, उसमें विशेष ध्यान दिया गया है। वहां से बराबर अधिकारियों और मंत्री स्तर पर बातचीत करके बैंक सहित उन राज्यों में भी, जिन राज्यों में यह काम पीछे था, अब उसमें भी प्रगति आई है। आपको संतोष होगा जब सब जानकारी देंगे कि उसमें भी प्रगति आई है और वहां भी अच्छा काम शुरू हो गया है।

श्रीमती वृंदा कारत: सभापति महोदय, मैं अपना सवाल सैल्फ-हैल्प ग्रुप्स तक सीमित रखना चाहूंगी। मंत्री महोदय ने यह कहा कि सैल्फ-हैल्प ग्रुप्स के बारे में सरकार बहुत गंभीर है और बैंक की लिंकेजेज के लिए वे कुछ कदम उठा रहे हैं। एक सवाल यहां उठता है कि सैल्फ-हैल्प ग्रुप्स बचत भी कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर औरतें अपनी जरूरतों को काटकर उस सैल्फ-हैल्प ग्रुप्स में हिस्सेदारी बनने के लिए वे बचत कर रही हैं। मेरा यह सवाल है कि अभी बहुत रूरल डिस्ट्रेस के कारण हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो कोस्टल एरिया कॉस्ट और शैडॅयूल्ड ट्राइब्स सम्बन्धित सैल्फ-हैल्प ग्रुप्स हैं, वे अभी बचत नहीं कर पा रहे हैं और सरकार उनके लिए कोई विशेष योजना नहीं बना रही है। तो मंत्री महोदय से मेरा यह प्रश्न है कि इस बीच में कितने एस०सी०, एस०टी० सैल्फ-हैल्प ग्रुप्स नॉन-फंक्शनल हो गए हैं और उसके प्रति सरकार का क्या रवैया है और क्या ठोस कदम सरकार उठाना चाहती है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, जब सैल्फ-हैल्प ग्रुप्स बनता है तो उसका दो ग्रेड होता है। उसको करीब 6 महीने तक देखा जाता है कि वह अपनी बचत करके बैंक में जमा करते हैं उसी

हिसाब से उनको रजिस्ट्री दी जाती है, उनको बैंकों से क्रेडिट दिया जाता है। माननीय सदस्या का यह कहना सही है कि कुछ राज्यों में जहां-तहां देखा गया है कि सैल्फ-हैल्प ग्रुप्स बनने के बाद उनका फंक्शन नहीं रह जाता और ठप्प हो जाता है। उस पर हम लोग राज्य सरकार से बराबर सम्पर्क में हैं कि इस तरह के सैल्फ-हैल्प ग्रुप्स गठित होने के बाद एबंडंड हो जाएं। उनमें केवल शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग नहीं हैं, महोदय, उसमें दूसरे लोग भी हैं। सभी तो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, तो जहां-जहां इस तरह की कठिनाइयां हैं वहां हम लोग सरकार से सहयोग देने के लिए प्रयत्नशील हैं।

SHRIMATI VANGA GEETHA: Thank you, Sir. Sir, the scheme of SGSY is very much useful and helpful to the self-help groups apart from the unemployed youth. Sir, I would like to ask the hon. Minister: Is there any study with the Government whether the schemes have benefited the targeted sections?

According to my personal experience, I know that the hon. Minister for Rural Development has approved one project for the east Godavari district worth Rs. 25 crores, that is, special designing and technology. Another project is relating to the coir product. After completion of the training, a monitoring cell is required because the people do not have the capacity to bring orders from different places. Equipment is there, machinery is also there, well-trained people are there, but they do not have any orders to produce the product. In fact, there is a necessity of constituting a monitoring cell. That is why I request the hon. Minister to appoint a monitoring or marketing cell after the completion of a project.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्या निगरानी के संबंध में प्रश्न पूछ रही हैं, तो डिस्ट्रिक्ट विजीलेंस सेल मानिटरिंग कमेटी हेडिड बाई लोकल एम॰पी॰ और उसमें भी माननीय सदस्या स्वयं चेयरमैन हैं, वह तो हर एक जिले में है ही। महोदय, हर एक जिले में ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं में और एम॰जी॰एस॰वाई॰ को देखने के लिए कमेटी है। माननीय सदस्या ने दूसरा सवाल मार्केटिंग के संबंध में उठाया है। महोदय, मार्केटिंग के संबंध में जो उन्होंने सवाल उठाया है, हर एक जिले में जो राशि दी जाती है, उसमें ईयर मार्क्ड है कि इसकी ट्रेनिंग के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए और मार्केटिंग के लिए कितनी राशि खर्च होगी। हर जिले में कम से कम पांच लाख रुपया मौजूद है जो सैल्फ-हैल्फ ग्रुप के द्वारा, जो उत्पादित सामान है उसके मार्केटिंग का प्रबंध किया जाये। सर, हर एक जिले में पांच लाख रुपया मार्केटिंग के लिए मौजूद है। . .(व्यवधान).....

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, I am not asking for funds ..(व्यवधान)...

श्री सभापति: इस पर क्वेश्चन महिलाएं पूछ सकेंगी और कोई नहीं। ...(व्यवधान)...

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Sir, I would like to ask the hon. Minister, through you, when the ladies keep the money with them, how much interest is given, and when the ladies go there for loan, how much money is taken as interest. I want an answer from the hon. Minister. For the money borrowed, what is the rate of interest, and for the money deposited there, what is the rate of interest?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सर, इंटरेस्ट के बारे में मैंने पहले बता दिया था कि पहले 10 से 12 परसेंट इंटरेस्ट लगता था, लेकिन जब से लिखा-पढ़ी हुई है, तो यह 9 परसेंट से अधिक कहीं भी नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री दत्ता मेघे: सर, कार लेने के लिए लोगों को लोन 8 परसेंट पर मिलता है। ...(व्यवधान)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सर, माननीय सदस्य जो सवाल उठा रहे हैं, हम इस पर अपने वित्त मंत्रालय से भिड़े हुए हैं। हमें माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए। हम चाहते हैं कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग जो लोन लें, वह लोन उनको कम इंटरेस्ट पर मिलना चाहिए, उन पर कम इंटरेस्ट लगना चाहिए। हमें इसके लिए माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए। यह ठीक है कि कार लोन के लिए 6-7 परसेंट इंटरेस्ट है और मकान बनाने के लिए भी 6-7 परसेंट इंटरेस्ट है। महोदय, हमें माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए कि गरीबों को कम इंटरेस्ट पर लोन मिले। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, आप बताइये कि माननीय सदस्यों का सहयोग किस प्रकार से चाहते हैं?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सर, हमें समर्थन दें कि ठीक काम हो रहा है। ...(व्यवधान)...गरीबों के लिए ठीक काम हो रहा है, इसके लिए हमें सब लोगों का समर्थन चाहिए।...(व्यवधान)...

श्री दत्ता मेघे: सर, हम लोग लिखकर देने के लिए तैयार हैं कि गरीबों को जो लोन दिया जाता है, उसका इंटरेस्ट कम किया जाये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक मिनट, एक मिनट। ...(व्यवधान)... मंत्री महोदय, आपने देख लिया होगा कि सदन के सभी सदस्यों की इस प्रकार की मांग है। आप यह मांग गवर्नमेंट के सामने रखिये। अगर आपकी नहीं चलती हो, तो आप दोबारा हाउस में आ जाइये।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जी, ठीक है। महोदय, हम आपके आदेश का ठीक से पालन करेंगे। यह गरीबों का मामला है। इसके लिए हम वित्त मंत्रालय से भिड़ना शुरू कर देंगे। ...(व्यवधान)...

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Sir, I want the answer ....*(Interruptions)*... Sir, I did not get the answer. सर, मेरे प्रश्न का ऑनस्वर नहीं आया है। ...(व्यवधान)... सर, मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मैं अब आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं। आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... डा॰ कुमकुम राय।

डा॰ कुमकुम राय: सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि यह जो एस॰जी॰एस॰वाई॰ की स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार की योजना है, इसके बारे में अभी मंत्री जी ने बताया कि मार्केटिंग के लिए पांच लाख रुपये प्रति जिला को देते हैं। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार की तरफ से उनके लिए किसी बाज़ार की व्यवस्था की जाती है? दूसरा, क्या सरकारी उपक्रमों में उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की खरीद को अनिवार्य कराने पर विचार कर रहे हैं?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, जिलापीठ का पांच लाख देने के अतिरिक्त सरस मेला लगता है, जो अभी प्रगति मैदान में 14 नवम्बर से चला। चार-पांच करोड़ की बिक्री होती है। इसी प्रकार दिल्ली हाट में भी साल में एक-दो बार बाजार लगाया जाता है। हरेक राज्य में इस तरह से सरस मेले का प्रबंध किया गया है जिससे महिलाओं और सेल्फ-हैल्प ग्रुप के द्वारा उत्पादित सामानों की खरीद-बिक्री हो। सरकारी महकमों में भी उसकी खरीद की जाए, उसके लिए खास तौर पर हम लोग प्रयत्न करेंगे।

श्री सभापति: नेक्स्ट क्वेश्चन। ...(व्यवधान)...

श्री मंगनी लाल मंडल: सर, एक नीतिगत बात है। ...(व्यवधान)... एक नीतिगत सवाल है।

श्री सभापति: मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं। कोई नीतिगत मामला क्वेश्चन ऑवर में नहीं उठाया जाता है। ...(व्यवधान)... क्वेश्चन ऑवर में कोई नीतिगत मामले नहीं उठाए जाते। प्रश्न संख्या 104। ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, आज आपकी यह रूलिंग हो गयी है कि क्वेश्चन ऑवर में नीतिगत सवाल नहीं उठाए जाएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: यह है ही। क्वेश्चन ऑवर में नीतियों के बारे में सवाल ...(व्यवधान)... यह है ही। यह मेरा निर्णय नहीं है, पुरानी व्यवस्था ही है। ...(व्यवधान)...

श्री मंगनी लाल मंडल: सप्लीमेंटरी क्वेश्चन तो हो सकता है। ...(व्यवधान)...